भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2249

दिनांक 31 जुलाई, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

पंजीकृत दवा विक्रेताओं के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा संबंधी अधिकार

†2249. श्री उज्जवल रमण सिंहः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पंजीकृत दवा विक्रेताओं को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने तथा सीमित चिकित्सकीय अभ्यास करने का अधिकार प्रदान करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा सहित समय-सीमा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ग): भेषजी व्यवसाय विनियम, 2015 पंजीकृत फार्मासिस्टों द्वारा फार्मेसी के व्यवसाय को विनियमित करता है। ये विनियम पंजीकृत फार्मासिस्टों के लिए विभिन्न कर्तव्य और जिम्मेदारियों को निर्धारित करते हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ पंजीकृत चिकित्सा प्रैक्टिशनर्स द्वारा जारी पर्ची के आधार पर ही दवाएं देना, छात्र फार्मासिस्टों को व्यावहारिक प्रशिक्षण देना, रोगियों के रिकॉर्ड रखना, रोगियों की गोपनीयता सुनिश्चित करना, दवाओं के तर्कसंगत उपयोग को बढ़ावा देना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना और दवाओं के सुरक्षित और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए रोगियों की काउंसिलिंग करना शामिल हैं।
